भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3376
जिसका उत्तर मंगलवार, 17 मार्च, 2015 को दिया जाना है

सरकारी उपक्रमों के घाटे की माफी

3376. श्री अनिल शिरोलेः

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उनके मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीनस्थ कुछ सरकारी उपक्रमों के घाटे की माफी की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त घाटे को बीआरपीएसई द्वारा संस्वीकृत पुररुद्धार पैकेज के भाग के रूप में माफ किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त सरकारी उपक्रमों के पुनरुद्धार के कारण केन्द्रीय राजकोष पर कितना वित्तीय भार पड़ने की संभावना है?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री जी. एम. सिद्देश्वर)

(क) से (ग): जी, हां। सरकार ने बीआरपीएसई/ आर्थिक कार्यों संबंधी मंत्रिमंडल समिति के अनुमोदन से पुनरुद्धार पैकेज के भाग के रूप में इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के घाटे को माफ कर दिया है। वर्ष 2005-06 से आज की तारीख तक माफ की गई कुल राशि ₹4216.49 करोड़ है।

******